


## नीलामी सूचना

च०शे०आजाद कृषि एवं प्रौ०विश्वविद्यालय के बीज विधायन संयन्त्र, जनक व आधारीय, कल्यानपुर कानपुर पर उपलब्ध क्रमशः लगभग 378.07 कु० एवं 1871.80 कु० बीज अयोग्य विभिन्न खाद्यान/मिश्रण/छानन की दिनांक 21.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे खुली नीलामी की जायेगी, जिसमें बोली बोलने हेतु इच्छुक व्यापारी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी शर्तों का पालन करते हुये भाग ले सकते हैं। विस्तृत विवरण वि०वि० की वैबसाइट **[www.csauk.ac.in](http://www.csauk.ac.in)** पर देखें।

निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र


जनक बीज विधायन संयन्त्र, कल्याणपुर, कानपुर पर नीलामी हेतु उपलब्ध खाद्यान्नों का विवरण

क्र०स०	खाद्यान्न का नाम	अनुमानित मात्रा(कू०)
1.	गेहूँ बीज अयोग्य विष शोधित	12.80
2.	गेहूँ बीज अयोग्य शोधित नहीं	155.20
3.	गेहूँ छानन	30.64
4.	जौ बीज अयोग्य शोधित नहीं	29.09
5.	जौ मिश्रण	00.25
6.	जौ छानन	07.60
7.	अलसी बीज अयोग्य विष शोधित	01.23
8.	अलसी बीज अयोग्य शोधित नहीं	04.08
9.	अलसी छानन	01.76
10.	चना बीज अयोग्य विष शोधित	15.60
11.	चना बीज अयोग्य शोधित नहीं	01.26
12.	चना छानन	05.44
13.	चना सफेद बीज अयोग्य विष शोधित	02.46
14.	सफेद मटर बीज अयोग्य विष शोधित	09.08
15.	सफेद मटर छानन	08.60
16.	मसूर बीज अयोग्य विष शोधित	01.37
17.	मसूर छानन	12.46
18.	सब्जी मटर छानन	18.90
19.	तोरिया/राई छानन	04.61
20.	पीली राई छानन	00.42
21.	मूँग छानन	05.61
22.	धान सुगन्धित छानन	13.60
23.	उर्द बीज अयोग्य शोधित नहीं	04.91
24.	उर्द बीज अयोग्य विष शोधित	02.46
25.	उर्द मिश्रण	00.98
26.	उर्द छानन	07.48
27.	तिल बीज अयोग्य शोधित नहीं	00.365
28.	तिल छानन	00.03
29.	अरहर मिश्रण	2.10
30.	अरहर छानन	03.30
31.	धान सुगन्धित बीज अयोग्य	07.20
32.	मूँगफली छानन	02.61
33.	लोबिया बीज अयोग्य	00.30
34.	मेथी बीज अयोग्य	01.13
35.	मेथी छानन	00.10
36.	राजमा बीज अयोग्य	00.60
37.	राजमा छानन	00.06
38.	धनियॉ बीज अयोग्य	00.71
39.	धनियॉ छानन	00.47
40.	पालक बीज अयोग्य	01.10
41.	पालक छानन	00.05
42.	टमाटर छानन	00.0085
43.	गाजर छानन	00.005
44.	बैंगन छानन	00.001
45.	मिर्ची छानन	00.007
46.	करेला छानन	00.001
47.	कद्दू छानन	00.01
48.	भिण्डी छानन	00.005
49.	खीरा छानन	00.02
	योग-	378.0725

  
 Director Seed & Farm  
 C.S.A. Uni. of Agri. & Tech.  
 Kanpur

आधारीय बीज विधायन संयन्त्र, कल्यानपुर, कानपुर पर नीलामी हेतु उपलब्ध खाद्यान्नों का विवरण

क्र०सं०	खाद्यान्न का नाम	अनुमानित मात्रा (कु०)
1.	धान मोटा बीज अयोग्य शोधित	145.63
2.	धान मोटा मिश्रण	9.74
3.	धान सुगंधित बीज अयोग्य शोधित	326.29
4.	धान सुगंधित छानन	42.04
5.	जौ छानन	11.42
6.	गेहूँ बीज अयोग्य शोधित नहीं	112.50
7.	गेहूँ बीज अयोग्य शोधित	858.70
8.	गेहूँ छानन	275.82
9.	गेहूँ मिश्रण	3.15
10.	मक्का मिश्रण	3.00
11.	मूँग छानन	10.33
12.	उर्द छानन	16.31
13.	चना छानन	9.35
14.	मटर छानन	19.63
15.	मसूर छानन	5.72
16.	राई छानन	17.21
17.	तिल छानन	2.95
18.	बिल बीज अयोग्य शोधित	0.13
19.	अलसी बीज आयोग्य शोधित	1.88
	योग-	1871.80

  
 Director Seed & Farm  
 C.S.A. Uni. of Agri. & Tech.  
 Kanpur

**निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र**  
**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002**

पत्रांक: 846 / बी0 एवं प्र0 / 2024

दिनांक: मार्च 14, 2024

**कार्यालय ज्ञाप**

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के जनक व आधारीय बीज विधायन संयन्त्र, कल्यानपुर, कानपुर पर संलग्न विवरण के अनुसार क्रमशः लगभग 378.07 कु0 एवं 1871.80 कु0 बीज अयोग्य विभिन्न खाद्यान्न/मिश्रण/छानन बिक्री हेतु उपलब्ध है, इस हेतु खुली नीलामी दिनांक 21.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे गठित समिति के समक्ष बीज विधायन संयन्त्र, कल्यानपुर, कानपुर पर की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये कार्यालय में अपना नामांकन कराने के साथ-साथ निर्धारित जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में बोली बोलने हेतु सम्मिलित हो सकते हैं।

**नीलामी शर्त :-**

- (1) विश्वविद्यालय के आधारीय व जनक बीज विधायन संयन्त्रों पर उपलब्ध जिन्सों की नीलामी अलग-अलग सम्पादित की जायेगी।
- (2) प्रत्येक बोलीदाता को दोनों बीज विधायन संयन्त्रों हेतु बोली बोलने के पूर्व रू0 50,000.00 की अलग-अलग जमानत धनराशि का बैंकड्राफ्ट/नगद के रूप में जो अर्थ नियन्त्रक, च0शे0आजाद कृषि एवं प्रौ0वि0वि0, कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा किये जाने होंगे।
- (3) प्रत्येक खाद्यान्न की दरें प्रति कुन्तल अलग-अलग दी जायें, जिसकी दरें अधिकतम होंगी उसकी जमानत धनराशि रोक ली जायेगी तथा अन्य की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (4) नीलामी बोली से प्राप्त अधिकतम दरें उचित न होने पर या किसी अपरिहार्य कारणों से समिति को प्रस्तावित दरें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (5) खाद्यान्न की भौतिक दशा किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय अवधि में दोनों संयन्त्रों पर देखी जा सकती है।
- (6) कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त खाद्यान्न जहाँ व जैसी स्थिति में है उसे क्रयकर्ता को अपने बोरे व वाहन तथा अपने व्यय पर पूर्ण भुगतान के विरुद्ध उठाना होगा।
- (7) बीज अयोग्य पैकेटों को यदि बोरी फटी नहीं है तो पैकिंग, भार व संख्या के अनुसार ही व्यापारी को अपने बोरे में लेना होगा।
- (8) समिति को बिना कारण बताये एक या समस्त नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (9) प्राप्त खाद्यान्न की दरें स्वीकृति के बाद 15 दिन की अवधि में उठाना होगा और यदि कोई बोलीदाता समय सीमा में खाद्यान्न नहीं उठाता है तो उसकी जमानत धनराशि स्वतः जब्त मानी जायेगी।
- (10) जिस व्यापारी की अधिकतम बोली (दरें) स्वीकृत की जायेगी उसके द्वारा खाद्यान्न उठाये जाने के पूर्व 50% (पचास प्रतिशत) मूल्य जमा करना होगा, जिसका समायोजन अन्तिम उठान में किया जायेगा।

- (11) क्रयकर्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शोधित बीज को खाने में प्रयोग नहीं करेंगे ।
- (12) नीलामी हेतु उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा घट अथवा बढ़ सकती है।
- (13) खाद्यान्न की आपूर्ति कार्यालय अवधि (प्रातः 10.00 से साँय 5.00 बजे) में की जायेगी।

(विजय कुमार यादव)  
निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र

पत्रोंक एवं दिनोंक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अर्थ नियन्त्रक, च०शे०आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर।
2. अधिष्ठाता कृषि संकाय, च०शे०आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर।
3. निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र, च०शे०आजाद कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, एरिस सेल को इस अनुरोध के साथ कि पत्र के साथ संलग्न नीलामी सूचना एवं नीलामी शर्तें एवं नीलामी हेतु उपलब्ध खाद्यान्नों/मिश्रण/छानन की सूची विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, बीज विधायन संयन्त्र, जनक/आधारीय, कल्यानपुर, कानपुर को इस आशय से कि वह विस्तृत रूप से प्रचार कर क्रयकर्ताओं की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।
7. कुलपति के तकनीकी सचिव को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(विजय कुमार यादव)  
निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र